<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>निगरानी/टीए/2910/2002/बून्दी</u>

1.हेमराज पुत्र गोपाल जाति माली निवासी मालियों के मन्दिर के पास के.पाटन जिला बून्दी

2.रामकिशन सैनी पुत्र गोपाल जाति माली निवासी मालियों के मन्दिर के पास के.पाटन जिला बून्दी हाल निवासी आर ए पी पी कालोनी रावतभाटा जिला चित्तोडगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1.बद्रीलाल पुत्र श्री आबू फौत का.मु.–

1/1.रूकमणी पुत्री बद्री लाल पत्नी मोती लाल निवासी रायपुरा कोटा

1/2.बिरदी बाई उर्फ सुशीला बाई पुत्री बद्री लाल पत्नी देवराज भाटी निवासी बून्दी

2.प्रहलाद लाल पुत्र बद्री लाल

3.मधुसूदन पुत्र बद्री लाल

4. मोहन पुत्र बद्री लाल

5. रघुनन्दन पुत्र बद्री लाल

समस्त जाति माली निवासी के.पाटन जिला बून्दी

6. गोपाल पुत्र आबू फौत का.मु.–

6/1.धन्नी बाई पुत्री गोपाल पत्नी पन्ना लाल निवासी पावर हाउस केशवराय पाटन जिला बून्दी

6/2. बसन्ती बाई पुत्री गोपाल पत्नी नन्दकिशोर निवासी के.पाटन जिला बून्दी

6/3. चन्द्रकान्ता पुत्री गोपाल पत्नी नन्दकिशोर निवासी रावतभाटा जिला चित्तोडगढ

6/4.हेमराज पुत्र गोपाल

6/5.रामकिशन पुत्र गोपाल

7.गेन्दी लाल पुत्र आबू फौत का.मु.–

7/1. कैलाशी बाई पसुत्री गेंदी लाल निवासी के.पाटन बून्दी

7/2. पार्वती पुत्री गेंदी लाल निवासी बून्दी

7/3.गीता पुत्री गेंदी लाल निवासी नयापुरा कोटा

7/4.मन्जू पुत्री गेंदी लाल निवासी सकतपुरा कोटा

7/5.शकुन्तला पुत्री गेंदी लाल निवासी कोटडी जिला कोटा

7/6.ओमप्रकाश पुत्र गेंदी लाल निवासी के.पाटन जिला बून्दी

7/7. केसर बाई पत्नी गेंदी लाल फौत

8. मथुरा लाल पुत्र श्री आबू जाति माली निवासी वार्ड नं4 कस्बा केशवराय पाटन जिला बून्दी

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के.पाटन जिला बून्दी

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री शशिकान्त जोशी अभिभाषक प्रार्थी
श्री सुमित जैन अभिभाषक अप्रार्थी
श्री प्रशान्त सोनी अभिभाषक अप्रार्थी
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अप्रार्थी
श्री राजेन्द्र मीणा उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय
दिनांक 02.02.2021

1. यह निगरानी सहायक जिलाधीश केशवरायपाटन जिला बून्दी के आदेश दिनांक7–2–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा230के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने मूल वाद अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 9 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था व वाद का कारण भी प्रार्थीगण के विरूद्ध दावे में दर्ज नहीं किया था। प्रार्थीगण को दावे में करीब सात वर्ष पश्चात दिनांक 1–10–97 को पक्षकार बनाया गया। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये स्वयं वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 बद्री लाल द्वारा चूँकि विवादित आराजी का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र से हेमराज व रामकिशन वर्तमान प्रार्थीगण को सन 1983 में किया जा चुका है इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया जावे जिस पर विचारण न्यायालय ने एकतरफा आदेश दिनांक 1–10–97 से वर्तमान प्रार्थीगण को मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 4 व5 के तौर पर संयोजित कर दिया। पक्षकार संयोजित होने के उपरान्त प्रार्थीगण पर नोटिस की तामील होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर दिया। वादग्रस्त आराजी का बेचान स्वयं विपक्षीगण की स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में किया जा चुका है। अब

वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं है और न ही प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने के बाद वादीगण ने कोई वाद कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्शाया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत वादीगण का वाद निरस्त किये जाने योग्य था। उनका तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 बद्रीलाल ने स्वस्थ मन से बहुमूल्य प्रतिफल के बदले प्रार्थीगण के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आराजी का बेचान किया है। यदि इस बेचान पत्र को गलत या गैर कानूनी वादीगण मानते है तो उन्हें इस बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कराये बिना राजस्व न्यायालय से कोई दादरसी प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि विपक्षी का दावा बेचान पत्र के बाबत् यह कह कर प्रस्तुत हुआ है कि बद्रीलाल विक्षिप्त मस्तिष्क का होने के कारण रहन के स्थान पर बेचान करवा दिया तो ऐसी स्थिति में दीवानी न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं था। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी की मन्शा को समझे बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 7.02.2002 निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में 2017 आर बी जे पेज 145, 2016 आर आर टी(2)पेज 1360,2013(1)डी एन जे पेज107,2010 आर आर टी(1)पेज 720,2009 आर आर टी (2)पेज 882,2020(1) आर आर टी पेज 271,2020 आर आर टी(2)पेज 1200 1979 डब्लू एल एन पेज 24,ए आई आर 1971एस सी पेज 776,2001आर आर टी(2) पेज 1252,1983 आर आर डी पेज 676 की नजीरें पेश की।

5. जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में बताया कि जो आक्षेप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में लिये गये है। उक्त समस्त आक्षेपों को जवाबदावे में लेना चाहिए। जवाबदावा प्रस्तुत करने के पूर्व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी चलने योग्य नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उसे खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपने कथन के समर्थन में 2009 (2) आर आर टी पेज 882, 2011 (1) आर आर टी पेज 273, 2010 (1) आर आर टी पेज 616, 2009 (1) आर आर टी पेज 62, 2009 (1) आर आर टी पेज 230, 2007 (2) आर आर टी पेज 905, 2003 (1) आर आर टी पेज 633, 1994 (1) आर बी जे पेज 131 की नजीरें पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. प्रश्नगत प्रकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 से सम्बन्धित है। जिसके प्रावधान निम्न प्रकार है :–

> Rejection of plaint - The plaint shall be rejected in the following cases :-
>
> (a) where it does not disclose a cause of action;
> (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
> (c) where the relied claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:

8. अधीनस्थ न्ययालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 9 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद प्रस्तुत किया था। वाद का कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध दावे में दर्ज नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद वर्ष 1991 में दर्ज रजिस्टर्ड किया गया है। उसके पश्चात दिनांक 1.10.1997 को न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को पक्षकार बनाने के आदेश पारित किये हैं। उसके पश्चात प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में 11 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मानते हुए जो आदेश पारित किया है उसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से नहीं होती है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी बद्री लाल स्वयं ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हिस्से को वाद प्रस्तुतीकरण के काफी समय पूर्व जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–12–83 से प्रार्थीगण को बेचान कर दी और वह स्वयं द्वारा बेचान की गई आराजी पर ही प्रश्नगत वाद पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकार चाह रहा है। जबकि स्वयं द्वारा बेचान के उपरान्त उसके खातेदारी अधिकार स्वतः समाप्त हो चुके हैं। इसलिये स्वयं द्वारा

किये गये बेचान को जब तक वादी बद्री लाल एवं उसके वारिसान सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेते तब तक राजस्व न्यायालय में यह वादपत्र पोषनीय नहीं है और न ही राजस्व न्यायालय को इस वादपत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। चूँकि वादी संख्या 1 ने ही वादग्रस्त आराजी का बेचान किया है और उसे इस बेचान का भली भांति ज्ञान है जो वाद पत्र की मद संख्या 4 से स्पष्ट है तथा वादपत्र की उक्त मद को पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त वादीगण को विक्रय पत्र की बखूबी जानकारी है जिसे वे फर्जी तथा धोखाधडी से निष्पादित होना बताते हैं। इसलिये जब तक वादीगण सक्षम न्यायालय से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–12–1983 को सक्षम सिविल अथवा आपराधिक न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते हैं तब तक वाद पत्र राजस्व न्यायालय में पोषनीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी वादी द्वारा आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का फर्जी विक्रय पत्र प्रार्थी हेमराज व रामकिशन द्वारा कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से आराजी के खातेदार दर्ज हो चुके है। अतः उनको पक्षकार बनाये जावें।

9. इस प्रकार वादीगण को प्रार्थी हेमराज वगैरह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार होने का तथ्य जानकारी में था जिसका इन्द्राज भी राजस्व रेकार्ड में वाद प्रस्तुति से पूर्व प्रार्थीगण के पक्ष में हो चुका था। पत्रावली में राजस्व रेकार्ड भी उपलब्ध है जिससे भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ही वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। अतः जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15–12–1983 को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेते तब तक वादी की ओर से प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 53, 88 व 89 चलने योग्य नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017 आर बी जे पेज 145 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908- Order 7 Rule 11- Section 151- Frivolous and vexatious suits and litigation ought to be nipped in the bud at the earliest and even if no strictly covered under jthe provision of Order 7 Rule 11 the same ought to be rejected under Section 151 CPC.

2016 (2) आर आर टी पेज 1360:–

> Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11- Trial court dismissed the suit for declaration & injuction- Trial court is required to see only averments made in the plaint- Defence raised in the writted statement cannot be considered- It cannot be said that no cause of action was available to the plaintiff- Held, orders are not sustainable & set aside & the Trial couret is directed to proceed with the plaint.

2010 (1) आर आर टी पेज 720:–
Code of Civil Procedure, 1908- Order 7 Rule 11- Rejectin of plaint- Application dismissed- Suit filed by sewayat 'RK' on behalf of the Thakurji Shri Kalyanji- Defence taken that sewayat cannot file the suit the name of Thakurji & suit is barred u/Sec. 46 of Land Reforms & Jatgir Resumption Act- Defence cannot be considered at this stage-From the averments made in plaint it does not appear that suit is barred by law. Held, Application rightly rejected & no illegality in the order.

2020 (1) आर आर टी पेज 271:–
Code of Civil Procedure, 1908- Order 7, Rule 11- Rejection of suit- Application rejected- Plaintiff claimed the relief that mutation of share of 'B' recorded in the name of deceased 'K and PK' be set aside and equal share 1/4 be recorded- Registered will came in effect in 1990 and challenged in the year 2017- Registered Will can be assailed before the Civil Court only- No question of succession arise till the registered Will is in existence- Suit is not maintainable before the Revenue Court without cancelling the Will- Held, Order set aside and suit is dismissed.

2020 (2) आर आर टी पेज 1200:–
Code of Civil Procedure, 1908- Order 7, Rule 11 (d)- Plaint rejected- Order affirmed by the High Court- Plaintiffsa executed the sale deed on 2.7.2009 in favour of the respondent no. 1 who sold the property to respondent no. 2 and 3- Suit filed on 15.12.2014 for cancellation of the sale deeds and declare illegal void and in effective- Suit was time barred- Execution of the sale deed was in the knowledge of the plaintiffs from the very begininng - No explationation that why the plaintiffs remanded silent for 5 1/2 years if Rs. 1,73,62,000/- was not paind- Limitation of 3 years for cancellatioin of the sale deed- Deliberately date of sale deed dated 2.7.2009 not mentioned in the plaint - Appellants have tried to mislead the court- Suit filed by the plaintiffs is an abuse of process of court- Held, No merit in the appeal and dismissed with cost of Rs. one Lakh.

10. 2017 आर बी जे पेज145 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां वाद न्यायालय का बहुमूल्य समय खराब करने वाला हो एवं वाद पत्र तुच्छ एवं निरर्थक है ऐसा वाद पत्र न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों अथवा धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत भी निरस्त किया जा सकता है। 2010 आर आर टी पेज 720 एवं 2009 आर आर टी

पेज882 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि केवलमात्र वाद पत्र के प्रकथन ही देखने होते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में वाद पत्र की मद संख्या 4 एवं 8के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित एवं बिना वाद कारण के प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2020 आर आर टी पेज 1200 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वादी द्वारा वादपत्र में जानबूझकर विक्रय पत्र की तारीख वर्णित न कर वादीगण ने न्यायालय को गुमराह का प्रयास किया है एवं विक्रय पत्र के रद्दकरण हेतु मियाद तीन वर्ष की है किन्तु इसे छिपाते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। ऐसा वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत निरस्त योग्य है। प्रश्नगत प्रकरण में भी वादीगण ने अपने वाद पत्र की किसी भी मद में स्वयं द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की न तो दिनांक अंकित की है और न ही विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही की है। अप्रार्थी की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं वह इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते हैं। क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में वादी बद्री लाल द्वारा स्वयं भूमि का बेचान किया गया है और लगभग आठ वर्ष पश्चात बिना उस विक्रय पत्र को निरस्त कराये दावा प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थीगण भूमि क्रय करने के बाद राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अभिलिखित खातेदार दर्ज हैं।

11. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 7–02–2002 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)

सदस्य